न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 15/594

शमशुद्दीन आयु 37 वर्ष आत्मज श्री अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासी तालाबगॉव हाल निवासी महावीर कोलोनी बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. अंजू बाला पत्नी श्री राजेन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 56 मानसरोवर कॉलोनी मजिस्ट्रेट कॉलोनी के पीछे नैनवा रोड, बून्दी ।
2. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अमर सिंह राठौड, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 05.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2015 विरूद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम नटावा तहसील हिण्डोली की आराजी खसरा नम्बर 712/305 रकबा 05 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में 01 बीघा भूमि का खातेदार वादी है तथा शेष 04 बीघा भूमि की खाते प्रतिवादी क्रम 1 है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं होने से कई परेशानियों का सामना करना पड रहा है ।
3. वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान आदि नहीं करे ।
4. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प मुकाम अटल सेवा केन्द्र सथूर में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 26.06.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

[illegible] द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2015 से व्यथित [illegible] अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं [illegible] न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखने बाबत् अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हुई । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.10.2015 को न्यायालय में पेशी सम्बन्धी जानकारी करने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी विधि विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और केवल मात्र लोक अदालत का कोटा पूरा करने के उद्देश्य से उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई तनकीयात कायम नहीं की और न ही किसी पक्षकार की कोई साक्ष्य आदि ली गई है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखने बाबत् अपीलान्ट को कोई सूचना आदि नहीं दी और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2015 निरस्त फमराया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे ।

9. रेस्पोन्डेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में अंकित अनुसार वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन कर प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

[illegible] में वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की [illegible] 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक [illegible] में रखते हुए निर्णय पारित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों [illegible] निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रकरण को गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 05.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा